<u>न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर</u>

पीठासीन अधिकारी : राजवीर सिंह चौधरी, RAS

अपील संख्या 38 / 2021

1 रिछपाल सिंह पुत्र कुलशसिंह जाति राजपूत निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

1 हणमान पुत्र बालू।
2 शिवचन्द पुत्र बालू।
3 उमसिंह पुत्र बालू।
4 गंगसिंह पुत्र बालू समस्त जाति राजपूत निवासीगण बेरी तहसील व जिला सीकर।
5 तहसीलदार सीकर।

रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व निर्णय एवं डिक्री न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय पीठासीन अधिकारी श्रीमती शीलावती मीणा आर0ए0एस0 दावा संख्या 295 / 2015 उनवानी रिछपाल सिंह बनाम हणमान आदि दिनांक 05.03.2021

उपस्थिति :

1. श्री सांवरमल चौरी, अधिवक्ता अपीलांट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

—निर्णय—

दिनांक:— 22.04.2022

यह अपील विचारण न्यायालय सहायक कलेक्टर द्वितीय सीकर द्वारा मुकदमा नम्बर 295/2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.03.2021 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वाद इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा न म्बर 2268 रकबा 1.47 हैक्टेयर वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर की तन में अवस्थित है। उपरोक्त विवादित भूमि को वादी लगातार निरन्तर व निर्बाध रूप से तथा एकाकी रूप से काश्त करता चला आ रहा है तथा वहां पर अपने आवास व निवास हेतु मकानात बनाकर घरेलू विद्युत कनेक्शन लेकर तथा पानी का कनेक्शन भी वादी के नाम से है तथ वादी लगातार एकाकी रूप से मय परिवार सहित आबाद होकर काबिज, काश्त करता चला आ रहा है। वादी द्वारा अपनी उपरोक्त भूमि को जो बंजड व अनउपजाऊ भूमि थी जिसमें वादी द्वारा काफी धनराशि खर्च करके उबड़ खाबड़ भूमि को लेवलिंग करवाया गया तथा काश्त योग्य भूमि बनाकर उसमें पेड़ पौधे लगाए गए तथा चारों और मिट्‌टी की डोल लगाकर तथा आवासीय मकानात बनाकर पानी व घरेलू विद्युत कनेक्शन लेकर वादी लगातार शांतिपूर्वक एवं प्रकट रूप में काफी वर्षो से चौमासे की फसल पैदा कर अपना व अपने परिवार का पालन पोषण करता चला आ रहा है। क्योंकि वादी एवं उसका सम्पूर्ण परिवार कृषि पर आश्रित है। उक्त भूमियां लगातार वादी द्वारा तथा उसके पुत्रों द्वारा ही काश्त की जाती रही है। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 ने कभी भी इस गांव में रहकर के काश्त नहीं की है तथा ना ही इस प्रकार के व्यक्ति इस गांव में मौजूद है तथा ना ही इनको कभी वादी द्वारा काश्त करते हुए देखा गया है। उक्त भूमियां लगातार वादी के कब्जे, काश्त में रही है। जिसकी ताईद ग्राम पंचायत बेरी के सरपंच द्वारा जारी प्रमाण पत्र से भी होती है तथा उन्होने भी अपने द्वारा जारी प्रमाण में यह अंकित किया है कि उक्त भूमि की काश्त वादी ही करता चला

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी * सीकर *

आ रहा है तथा अपने आवासीय मकानात बनाकर काबिज है तथा वादी द्वारा उक्त भूमियों का लगान राज्य सरकार में अदा किया गया है, इस प्रकार वादी लगातार, निरंतर एवं निर्बाध रूप से तथा काफी वर्षो से प्रकट रूप में काबिज, काश्त होने के कारण एडवर्स पजेशन के आधार पर भी वादी वाद पत्र की मद संख्या 01 में वर्णित भूमि का काबिज, खातेदार, काश्तकार उदघोषत किये जाने योग्य है तथा इसी प्रकार धारा 63(4) आर.टी.एक्ट वादी को खातेदारी अधिकार परिपक्व एवं प्राप्त हो चुके है, इसलिए भी वादी को उक्त सम्पूर्ण भूमि का काबिज, खातेदार उदघोषित किया जाना उचित, आवश्यक एवं न्याय संगत है। अपीलाधीन वाद की तामील रेस्पोडेंट संख्या 05 के खिलाफ असालतन एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के खिलाफ जरिये रजिस्टर्ड डाक एवं अखबार करवाये जाने के बावजूद वे अनुपस्थित रहे तथा उनके खिलाफ एकतरफा कार्यवाही अमल में लाये जाने बाबत आदेश पारित किये गये, इसके पश्चात वादी द्वारा अपनी वाद को दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से प्रमाणित करने हेतु स्वंय तथा दो स्वतंत्र गवाहान विरेन्द्र सिंह एवं महावीर प्रसाद के बयान लेखबद्व करवाये तथा कुल 19 दस्तावेज प्रदर्शित करवाये। जिनका कोई खण्डन पत्रावली पर मौजूद नहीं है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री से अपीलांट का वाद खारिज किये जाने में गम्भीर कानूनी भूल की है। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस अपीलांट सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि अपीलांट एवं उसके पुत्रगण ही सदैव से ही विवादित भूमि को काश्त करते चले आ रहे है। रेस्पोडेंट संख्या 2 ता 4 के नाम के व्यक्ति इस गांव में ही नहीं है तो उनके द्वारा काश्त करने का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। इस तथ्य को अपीलांट द्वारा दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से बखूबी साबित किया गया है तथा इसका कोई खण्डन भी पत्रावली पर मौजूद नहीं है। पत्रावली पर प्रस्तुत मौका रिपोर्ट से विवादित भूमि पर अपीलांट के मकान बने होना बिजली पानी का कनेक्शन होना एवं कब्जा काश्त होना पूर्णतया साबित है। अत अपील अपीलांट स्वीकार कर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं वाद वादी डिक्री किया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

अपने कथनों के समर्थन में आर.आर.टी. 2019(2) पेज 1354 का न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता अपीलांट की बहस पर मनन किया। पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड से विवादित भूमि खसरा नम्बर 2268 वाके ग्राम बेरी खातेदार हणमान पुत्र बालु शिवचन्द, उमसिंह, गंगसिंह के नाम खातेदारी में दर्ज होना जमाबंदी संवत 2069 से 2072 प्रदर्श 01 से प्रकट होता है। विचारण न्यायालय में प्रतिवादीगण हणमान, शिवचन्द, उमसिंह,गंगसिंह पुत्रगण बालु को साधारण नोटिस जारी किये गये। इन नोटिसों पर तामील कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि इस नाम का कोई व्यक्ति गांव में मौजुद नही है। इसके उपरान्त उक्त प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड नोटिस प्रदर्श 20 से 23 जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। इन नोटिसो पर रिपोर्ट आई है कि इस नाम का कोई व्यक्ति मौजुद नही है। इसके उपरान्त राष्ट्रीय अखबार दैनिक नवज्योति प्रदर्श 24 में दिनांक 09.08.2019 को प्रतिवादीगण के नोटिस साया करवाये गये। किन्तु विचारण न्यायालय के समक्ष कोई उपस्थित नही आया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में दिनांक 17.06.2015 का ग्राम पंचायत बेरी का संरपच द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रदर्श 19 संलग्न है इसमें स्पष्ट अंकित है कि भूमि खसरा नम्बर 2268 कुल रकबा 1.4700 हैक्टेयर वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर में दर्ज खातेदार हणमान पुत्र बालु शिवचन्द, उमसिंह, गंगसिंह को कभी भी मैने इस भूमि में कोई कब्जा व काश्त करते इनको नही देखा है तथा इस नाम के व्यक्ति इस गांव में नही रहते है तथा उक्त भूमि पर रिछपाल सिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी बेरी तहसील व जिला सीकर का ही कब्जा काश्त देखा है तथा इनके आवासीय मकान बने हुये है। विचारण न्यायालय की पत्रावली मे प्रदर्श 25 से 30 फोटोग्राफ संलग्न है। इनमे विवादित भूमि पर मकान बने होना स्पष्ट जाहिरहोता है। इसके अतिरिक्त विचारण न्यायालय की पत्रावली में विवादित भूमि पर दूरभाष सम्बंध होने का दूरसंचार विभाग का मांग पत्र प्रदर्श 18 अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का बिल प्रदर्श 7,8,9,10,16,17 एवं जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के पेयजल कनेक्शन के बिल प्रदर्श 2,3,4,5,6

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

संलग्न है। इनका कोई खण्डन पत्रावली पर नही है। इन दस्तावेजात से विवादित भूमि पर कदीम से वादी का कब्जा काश्त होना, आवास निवास होना एवं प्रतिवादीगण के नाम का कोई व्यक्ति गांव में नही होना स्पष्ट प्रमाणित है।

अपील के स्तर पर न्यायालय द्वारा तहसीलदार सीकर से मौके की रिपोर्ट प्राप्त की गई इस रिपोर्ट में नजरी नक्शा अंकित किया गया है। जिसमें मौके पर वादी अपीलांट के तीन मकान निर्मित होना विद्युत एवं पेयजल का कनेक्शन होना अंकित है। इस रिपोर्ट में पटवारी हल्का ने अंकित किया है कि मौके पर रिछपाल सिंह पुत्र कुशलसिंह जाति राजपूत निवासी बेरी का ही कब्जा बताया है। अपील के स्तर पर भी प्रतिवादीगण रेस्पोडेंटस् अनुपस्थिति रहे है। ऐसी स्थिति में वाद वादी अखण्डनीय होने से डिक्री की जाने योग्य था। विचारण न्यायालय ने इन तथ्यों पर विवेचन किये बिना ही विचाराधीन निर्णय पारित करने में विधिक त्रुटि की है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाता है एवं वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी अपीलांट को विवादित भूमि खसरा नम्बर **2268** रकबा **1.4700** हैक्टेयर वाके ग्राम बेरी तहसील व जिला सीकर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 22.04.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह चौधरी)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर